

पर्चा डिक्री

आयालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,
जिला हनुमानगढ़
पीठारसीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

करण संख्या - 102/2025

विधान :-

सौरभ विश्णोई पुत्र श्री सुभाष विश्णोई जाति विश्णोई निवासी गुरु जम्मेश्वरनगर, गांधी
पथ जयपुर हाल आर.सी. कॉलोनी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1 सावित्री पुत्री मनफूल जाति विश्णोई निवासी गिलवाला हाल 2एच मदेशण श्रीगंगानगर
तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2 संतोष विश्णोई पत्नी सुभाष विश्णोई निवासी गुरु जम्मेश्वर नगर जयपुर, हाल आर.
सी. कॉलोनी, संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

3 तगन्ना विश्णोई पुत्री सुभाष विश्णोई जाति विश्णोई निवासीयान गुरु जम्मेश्वर नगर,
जयपुर हाल आर.सी. कॉलोनी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

4 हिमानी विश्णोई पुत्री सुभाष विश्णोई जाति विश्णोई निवासीयान गुरु जम्मेश्वर नगर,
जयपुर हाल आर.सी. कॉलोनी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा


88 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति:- 1 अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र गर्ग :- वादी

2 अधिवक्ता श्री करनैलसिंह :- प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 27/3/25




आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के
समक्ष वकील वादी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिंह अधिवक्ता प्रतिवादीगण अंतिम
निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की
सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया
जाकर घोषणा की जाती है कि प्रतिवादीया सं० 1 सावित्री के नाम से चकनं० 2
एफटीपी के खाता सं० 121/110 में कुल 3.542 है० आराजी मे से वादी सौरभ विश्णोई
को 1.012 है० आराजी का तथा प्रतिवादीया सं० 2 संतोष विश्णोई को 2.530 है०
आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 2 एफटीपी के खाता सं०
121/110 में से प्रतिवादीया सं० 1 सावित्री का नाम कलमजन किये जाने के आदेश

दिये जाते हैं। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/3/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




उपख (सत्येंद्रसिंग R.A.S)
पदे उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलेक्टर
टिब्बी